राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-29/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

12

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

विजय रंजन
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -01.3.19

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 4561.55 लाख (पैतालीस करोड़ एकसठ लाख पचपन हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त् विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (विपत्र कोड 51-2235021030111) के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 10 दिनांक- 10.05.2018 द्वारा कुल रूपये 3500.00 लाख (पैतीस करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन (91डी0) द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (विपत्र कोड 2235021030111-51) के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 4561.55 लाख (पैतालीस करोड़ एकसठ लाख पचपन हजार) मात्र का अतिरिक्त बजट उपबंध कर्णांकित किया गया है। तदनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (विपत्र कोड 2235021030111-51) के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 4561.55 लाख (पैतालीस करोड़ एकसठ लाख पचपन हजार) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि रूपये 8061.55 लाख (अस्सी करोड़ एकसठ लाख पचपन हजार) मात्र होगा।

4. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 2 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।

5. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण-0111-कन्या सुरक्षा योजना-0111.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अंतर्गत मॉग संख्या-51 से विकलनीय है। इस योजना का विपत्र कोड-51-2235021030111 है।

6. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, पत्रांक 257/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

9. आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-29/2018 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 25/टि0 पर दिनांक 28.02.2019 को इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा तथा इस राशि व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

10. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

1/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2018/....12..../दिनांक- 01.3.19

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2018/....12..../दिनांक- 01.3.19

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2018/....12..../दिनांक- 01.3.19

प्रतिलिपि - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि निर्गत स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

1/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)